कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

89 क्रमांक 1801 / जि.पं. / स्था. / मुमपंसयो / 2017 राजनांदगांव दिनांक 16 / 05 / 2017

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक / पंग्राविवि / 22 / 492ए / 2016 / 2327 नया रायपुर दिनांक 04 / 07 / 2016 अनुसार पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ के अधीन मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (CMPSY) अंतर्गत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (BPRC) के लिए स्वीकृत संविदा / कलेक्टर दर पर डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों को 31 / 03 / 2018 तक के लिए उनके नाम के सम्मुख लिखे पदस्थापना स्थल पर संविदा नियुक्ति की जाती है:–

क्र.	उम्मीदवार का नाम	पिता / पति का नाम	पता	पदस्थापना स्थल	चयनित वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	पूजा भजने	श्री शरद भजने	प्लॉट नं. 143 / सी, सड़क–17 स्मृति नगर, भिलाई जिला–दुर्ग छ.ग.	जनपद पंचायत, डोंगरगढ़	अनारक्षित (मुक्त)
2	इलेश सोनकर	श्री फग्गुराम सोनकर	मोहारा वार्ड नं. 47, नया बाइपास रोड जिला–राजनांदगांव छ.ग.	जनपद पंचायत, छुईखदान	अनारक्षित (मुक्त)
3	तनिषा सिंह	श्री ऋषिमुनी सिंह	श्री ऋषिमुनी सिंह, ग्राम–पोस्ट–टेड़ेसरा, थाना–सोमनी, जिला–राजनांदगांव छ.ग.	जनपद पंचायत, अ. चौकी	अनारक्षित (महिला)
4	परमेश्वरी भारद्वाज	श्री सुरेन्द्र भारद्वाज	ग्राम –मुड़भाठा, पो.– जयरामनगर, तह.–मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) पिन–495550	जनपद पंचायत, खैरागढ़	अनुसूचित जाति

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा पर 13776.00 रूपये एकजाई पारिश्रमिक की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा और ना ही संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. यह संविदा नियुक्ति दिनांक 31 / 03 / 2018 तक होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. संविदा अवधि के कैलेण्डर वर्ष में कुल 18 दिनों का अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
7. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
8. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140

9. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्याँकन हो सके।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ–9–1/2012/1–3, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 1802/जि.पं./स्था./मुमपंसयो/2017 राजनांदगांव दिनांक 16/05/2017

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्यसचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त–सह–संचालक, पंचायत संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालयीन शाखा/स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व संबंधित .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप अपनी उपस्थिति दिनांक 29/05/2017 तक संबंधित पदस्थापना स्थान में अनिवार्य रूप से देवें अन्यथा आपकी संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,राजनांदगांव (छ.ग.)